भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *133
उत्तर देने की तारीख 09.02.2026

गोवा के लोक नृत्यों का संरक्षण

***133. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पेरनेम और कानाकोना में त्योहारों के दौरान किए जाने वाले फुगड़ी और ढालो नृत्य रूपों के विलुप्त होने के कगार पर होने को ध्यान में रखते हुए उनका पुनरुद्धार करने के लिए कलाकार कृतज्ञता निधि और मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टेंजिबल इनकम (मिष्टी) योजना के अंतर्गत लक्षित अनुदान आवंटित किए जाने और युवाओं को शामिल करने को बढ़ावा दिए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कला अकादमी के मांडो महोत्सव में घटती भागीदारी और दर्शकों की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यापक पहुंच और सांस्कृतिक प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले उपायों यथा प्रदर्शन शुल्क, विपणन संबंधी सहायता तथा विद्यालयों को इनसे जोड़ने संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विगत में कानाकोना कला उत्सव के अचानक रद्द होने के बाद स्थानीय त्योहारों में रुचि घटने को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने, इन्हें राजनीतिकरण से सुरक्षित रखने और वैकल्पिक मंच को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार फुगड़ी, ढालो और मांडो को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करने के लिए स्थानीय पुरालेखागार, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल प्रदर्शन के वित्तपोषण के द्वारा लोक कला रूपों के लिए "जीवित परंपराओं" का प्रलेखन और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ङ) सरकार द्वारा पारंपरिक शिगमो महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'गोवा के लोक नृत्यों का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2026 को माननीय संसद सदस्य कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *133 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम' (मिष्टी) कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा के रूप में मैंग्रोव को एक अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित करने और बढ़ावा देने तथा भारत के तटों पर मैंग्रोव पुनर्रोपण/वनीकरण के उपायों के माध्यम से "मैंग्रोव वनों की बहाली" के उद्देश्य से तटीय प्राकृतिक वास की स्थिरता को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी राज्य वन विभाग की है। मिष्टी कार्यक्रम को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए- लगभग 70%), पूर्ववर्ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जिसे अब विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण - लगभग 30%) के रूप में जाना जाता है, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसी तरह की अन्य पहलों के साथ एकीकरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कैम्पा से गैप-फंडिंग का प्रावधान है।

बाद में निधि जारी करना मिष्टी की बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली के अनुपालन पर निर्भर है, जिसके लिए हस्तक्षेप स्थलों की राज्य-स्तरीय निगरानी और सीएएमपीए नियमों के अनुसार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

9536 हेक्टेयर निम्नीकृत मैंग्रोव के रखरखाव के लिए 5 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र को 88.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जिलों की संख्या**	**एन-कैम्पा के तहत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपए में)**	**वित्तीय वर्ष 2025-26* में जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपए में)**
i.	गुजरात	02	2500	6.20	37.100
		01	5000	00.00	24.000
ii.	पश्चिम बंगाल	03	478	3.74	00.000
iii.	केरल	01	13	0.666	1.0140
iv.	पुदुचेरी	03	55	1.94	00.000
v.	आंध्र प्रदेश	06	1401	4.709	8.368
vi.	ओडिशा	04	89	0.7027	00.000
कुल			**9536**	**17.96**	**70.482**

* दिनांक 01.02.2026 तक की स्थिति।

भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन उदयपुर (राजस्थान) में अपने सदस्य राज्यों की लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की संरक्षा, संवर्धन और परिरक्षण के लिए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (डब्ल्यूजेडसीसी) की स्थापना की है। गोवा, डब्ल्यूजेडसीसी का एक सदस्य राज्य है। डब्ल्यूजेडसीसी द्वारा नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें वे गोवा राज्य सहित अपने सदस्य राज्यों के लोक/जनजातीय कलाकारों को शामिल करते हैं।

डब्ल्यूजेडसीसी ने वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं द्वारा आयोजित 'यात्रा पश्चिमालाप' कार्यक्रम में कलशी फुगड़ी नृत्य एवं ढालो नृत्य और उत्तराधिकार कार्यक्रम में धनगरी फुगड़ी को शामिल किया है। डब्ल्यूजेडसीसी ने गोवा से संबंधित प्रलेखन/प्रकाशन कार्य भी किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**प्रलेखन कार्य पूरा हो गया**
i.	गोवा के लोक नृत्य	प्रकाशित पुस्तक
ii.	कुनबी	
iii.	तनका आमचे नमन गोवा	श्रव्य
iv.	मूक अभिनय कार्यशाला पणजी, गोवा	वीडियो
v.	गोवा की टेराकोटा कला	

(ख) और (ग): कला अकादमी के मांडो उत्सव और कानाकोना कला उत्सव का आयोजन गोवा सरकार के कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है और इस प्रकार ये भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तथापि, डब्ल्यूजेडसीसी गोवा में विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों जैसे ऑक्टेव, यात्रा पश्चिमालाप, उत्तराधिकार, लोकोत्सव, बालोत्सव, गणेशोत्सव, नाट्योत्सव आदि का आयोजन करता है या उनमें भाग लेता है, जिसके लिए वे इन कार्यक्रमों के दौरान अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने हेतु लोक/जनजातीय कलाकारों को शामिल करते हैं। इन कलाकारों को उनकी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, स्थानीय परिवहन, आवास और भोजन आदि का भुगतान प्रस्तुतीकरण शुल्क के रूप में किया जाता है।

गोवा सहित देश के पारंपरिक मेले-महोत्सवों को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजी) नामक एक स्कीम चलाता है, जिसके तहत संगठनों को संगोष्ठी, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशालाएं, उत्सव, प्रदर्शनियां, विचारगोष्ठियां, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत निर्माण आदि के आयोजन के लिए

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत गोवा स्थित संगठनों को जारी किया गया अनुदान निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**जारी की गई राशि**
i.	2020-21	0.75
ii.	2021-22	3.75
iii.	2022-23	0.62
iv.	2023-24	1.50
v.	2024-25	2.12

(घ): संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) हमारे लोक और जनजातीय कला रूपों को कला समर्थकों और कलासाधकों की नई पीढ़ी के बीच संरक्षित करने, उनके प्रलेखन और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे ऑडियो, वीडियो, प्रकाशन और मोनोग्राफ यथा लाख की गुड़िया, नटुआ, चादर बादर कठपुतली, गोटीपुआ नृत्य, सौरा पेंटिंग, भित्ति चित्र, लामा नृत्य, मयूरभंज छऊ, गिद्धा लोक नृत्य, झूमर नृत्य, लद्दाख के मठ, भांड पाथेर, फुम्मनियम, बुर्राकथा, कलमकारी के गीत, ढोला मारू, सरगुजा के पहाड़ी कोरबा, खाड़ी गम्मत, लियांगमाई नागा लोक गीत, मितेरी सैनु, अंगामी लोक गीत, वृत्तचित्र फिल्में (हॉर्न हाउस, रिखिया भवन और धनगरी गजा), लंबाडी, बोम्मलाट्टम, पुलिकली, छाया कठपुतली, देव कूथु, संबलपुरी नृत्य, मंथ्रंकम कूडियाट्टम, कनियान कूथु, कथकली, कुम्माट्टी कली, गोरवारा कुनिथा, कनी हलिगे, जोगाती नृत्य, सूत्रदा गोम्बे, सुग्गी कुनिथा, कराडीमजालु, निलगारे, बोनालु, धिमसा नृत्य, रेज़ोनेटिंग बुर्रा, गणेश नर्तन, गोवा के लोक नृत्य और कुनबी (प्रकाशित पुस्तक), टेराकोटा कला, मूक अभिनय कार्यशाला, तांका अमाचे नमन आदि का प्रलेखन कार्य करते हैं।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), 1979 में अपनी स्थापना के समय से ही शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। सीसीआरटी ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवारत शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके शिक्षाशास्त्र में सांस्कृतिक विरासत को समाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीसीआरटी ने अपने सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को भी लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सांस्कृतिक शिक्षा समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के एनईपी के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।

सीसीआरटी भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए वीडियो वृत्तचित्र फिल्मों के रूप में सामग्री भी एकत्र करता है और इन फिल्मों को स्कूलों को दिया जाता है ताकि वे शिक्षण और अधिगम की विभिन्न प्रकार की स्थितियों में इनका उपयोग कर सकें और उन्हें बढ़ावा दे सकें।

(ङ): शिगमो उत्सव का आयोजन गोवा सरकार के कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। गोवा सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के अनुरोध पर, मंत्रालय पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (डब्ल्यूजेडसीसी) के माध्यम से कलाकारों को प्रायोजित करके इस उत्सव में सहायता प्रदान करता है।

*****